आवेदन शुल्कः

सूचना का अधिकार (शुल्क एवं लागत का विनियम) नियम, 2005 के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना माँगने वाला व्यक्ति सूचना पाने के लिए शुल्क का भुगतान नकद या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक या भारतीय पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से कर सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसार दस रूपए आवेदन शुल्क का भुगतान संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी को डिमांड ड्राफ्ट/ बैंकर चेक/आई.पी.ओ. के माध्यम से किया जाना चाहिए।

Application Fee:

Right to Information (Regulation of Fee and Cost) Rules, 2005 provide that a person seeking information under the RTI Act, 2005 can make payment of fee for obtaining information by Cash or Demand Draft or Banker's Cheque or Indian Postal Order. According to **sub-section (1) of section 6 of RTI Act, 2005** shall be accompanied by an application fee of rupees ten by way of Demand Draft/Banker's Cheque/IPO payable to the **Accounts Officer** of the concerned Public Authority.